रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 1983/श्रावण 11, 1905

No. 126] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 1983/SRAVANA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 27 आईटीसी (पीएन) 83

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1983

विषय : जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा प्रदान किए गए 2 1 बिलियन ऋण के अधीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आफ दी शोर सप्लाई वेसल और फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस शर्तें।

मिसिल सं० आई पी सी/23 (6/83)--जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा प्रदान की गई 2.1 बिलियन येन क्रेडिट के अधीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक आफ दि शोर सप्लाई और फालतू पुर्जों के आयात के लिए शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई है, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है।

पी०सी० जैन, मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

परिशिष्ट

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) द्वारा प्रदान किए गए 2.1 बिलियन ऋण के अधीन एक ओ एस वी और फालतू पुर्जों के आयात संबंध में लाईसेंस शर्तें।

खंड-1 समान्य शर्तें :

1(1) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक ओ एस वी और फालतू पुर्जों की आयात आवश्यकताओं के वित्त-दान के लिए जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया गया 2.1 बिलियन येन का ऋण जापान और विकासशील देशों के लिए खुला है। तदनुसार, इस क्रेडिट के अधीन जापान और अनुबंध 1 की सूची में उद्धृत सभी देशों से आयात किया जा सकता है। ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्त्रोत देश होंगे।

1(2) इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंस (सों) का मूल्य 2.2 बिलियन (लागत बीमा भाड़ा) से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का रुपए में मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना सं० 78-आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा 2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकेतिक दर पर निर्धारित किया जायगा, जिसमें यह भी उल्लेख हैं कि सीमा शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (सी) में विनिर्दिष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस के मूल्य के लिए नामे डालेंगे। लाइसेंस पर एक शीर्षक "जापानी येन ऋण सं० आई डी पी-21" होगी। प्रथम और द्वितीय प्रयन्न के लिए लाइसेंस में "एस/जे०सी०" कोड होगा। ओ एन सी जी को आयात लाइसेंस भेजते समय मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात के पत्र में भी इसे दुहराया जाएगा जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (जापान अनुभाग) को पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

1(3) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के नाम में ही आयात लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) केवल एक आयात लाइसेंस इस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते है। लेकिन, कुल मूल्य येन 2.2 बिलियन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) आयात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आवेदन करने पर 31-12-86 तक दी जा सकती है। इससे आगे की वृद्धि यदि कोई हो आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजी जानी चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्त दान किए जाने वाले आयात लाइसेंस से संलग्न माल और सेवाओं की सूची जो कि लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् सत्यापित हों, तक प्रतिबंधित हैं।

1(7) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को लागत और भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंस-धारी द्वारा किए गए उन क्रय आदेशों से हैं जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत स्वाक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हों। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा आदेश का पुष्टिकरण स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, डब्ल्यू ई-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते है तो 4 महीनों के भीतर आदेश क्यों नहीं दिए जा सके इन कारणों का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह आयात लाइसेंस की संबद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करे। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते है।

लेकिन यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (जापान अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजे जाएगे।

जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे जिसको वे लाइसेंस प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंस धारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों में केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय प्राधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन नय किए गए संभरण ठेकों के संबंध में साख पत्र स्थापित करने पर, समतुल्य रुपया जमा कराने की स्वीकृति आदि की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की समाप्ति से 4 महीने के भीतर सभी भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिए। माल के पोतलदान पर अलग अलग भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर पूर्णतः पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी किस्म का ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :—

"साख पत्र की प्राप्ति के बाद .... महीने परन्तु अधिक से अधिक .... के अन्त तक पूर्ण किया जाना

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-86 के बाद की न हो।

2(1) ठेके का लागत और भाड़ा मूल्य येन में (येन की भिन्न के बिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपए में चुकाया जाना चाहिए। भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। क्रय आदेश और संभरक द्वारा पुष्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाएं अभिप्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश अनुबन्ध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, साधारणतया माल और सेवाओं की अभिप्राप्ति औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के माध्यम से की जानी चाहिए और निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :—

(क) बोली लगाने के लिए निमंत्रण भारत में सामान्य रूप से परिचालित होने वाले कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति करने पड़ेंगे।

(ख) बोली के बांड या बोली लगाने की गारंटी की सामान्य आवश्यकता है, परन्तु उनको इतना ऊंचा महत्व नहीं देना चाहिए कि उचित बोली लगाने वाले हतोत्साहित हो जाएं।

(ग) बोली खुल जाने के बाद असफल बोलीकारों को यथाशीघ्र बोली बांड या गारन्टियाँ रिहा कर देनी चाहिएं।

2(3) जिन मामलों में औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा उचित न हो वहां निधि निम्नलिखित वैकल्पिक क्रिया-विधि अपनाएगी :—

(क) जहां आयातक के पास विश्वसनीय कारण हों या अपने उपस्कर का उचित मानकीकरण रखता हो।

(ख) जहां पर पात्र संभरकों की संख्या सीमित हो।

(ग) जहां अभिप्राप्ति में शामिल धनराशि इतनी कम हो कि विदेशी फर्म स्पष्ट रूप से दिलचस्पी न ले या औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय संविदा के फायदे शामिल प्रशासकीय भार से महत्वहीन न हो जाएं।

(घ) ऊपर (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त जहां निधि औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा का अनुकरण करना अनुचित समझे या निधि ऐसी प्रक्रिया को अनुपयुक्त समझे उदाहरणार्थ आयात अभिप्राप्ति के मामले में।

2(4) ऊपर संकेतित मामलों में निम्नलिखित अभिप्राप्ति प्रक्रिया इस ढंग से अपनायी जाए। जिससे जहां तक उचित हो पूर्ण सम्भाव्य सीमा तक औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया का अनुपालन हो सके :—

(1) औपचारिक चुनिन्दा अंतर्राष्ट्रीय निविदा करना;

(2) अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिक अभिप्राप्ति;

(3) केवल एक संभरक से सीधा क्रय।

2(4) किन्तु यदि यह प्रस्तावित किया जाए कि ऋण की रकम में से वित्तदान किए जाने वाले माल और सेवाओं के लिए औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा करने से भिन्न अभिप्राप्ति क्रियाविधि अपनायी जाए तो निधि को अभिप्राप्ति तरीके (तरीकों) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित ऐसा आवेदन पत्र भेजकर जिसमें उसके औचित्य भी दिए हों, निधि की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2(5) माल और सेवाओं की अभिप्राप्ति के लिए बोली आमंत्रित करने से पहले आयातक निधि को बोलीकारों के लिए सभी सूचनाएं और अनुदेश, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विनिर्दिष्टिकरण और ड्राइंग और बोली लगाने से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों की प्रतियां उसके अनुमोदन के लिए भेजेगा।

2(6) उपर्युक्त 2(4) और 2(5) में उल्लिखित सभी दस्तावेज तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को ओ ई सी एफ का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दो प्रतियों में प्रस्तुत करने चाहिए। यह नोट कर लेना चाहिए कि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (जापान अनुभाग) द्वारा खरीद के ठेके ओ ई सी एफ को अनुमोदन के लिए केवल तब अधिसूचित किए जाएंगे जब उपर्युक्त दस्तावेज ओ ई सी एफ को प्रस्तुत कर दिए गए हों।

2(7) विदेशी संभरक का भुगतान, उनके नाम में बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा 1982-83 के लिए ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं० आई डी पी-21 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसका ब्यौरा नीचे खंड-6 में दिया गया है।

2(8) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि के तुरन्त बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(9) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक अथवा न्यायिक होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल एवं पंजीकृत होंगे और जिनका नियंत्रण पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा होगा।

2(10) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरकों द्वारा पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :—

"मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि संभरित किया जाने वाला माल.................. में (पात्र स्रोत देश) उत्पादित है।

मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 30 प्रतिशत से कम है।

$$\frac{\text{आयातित लागत बीमा-भाड़ा मूल्य + आयातित शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य (कारखाना मूल्य जहां लागू हो)}} \times 100$$

और

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूं कि ....(पात्र स्रोत देश) का नाम में ....(कम्पनी का नाम), समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी हैं और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है।"

2(11) अपात्र स्रोत देशों से अनुमेय आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है, उसका विस्तवान किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित सूत्र के अनुसार मद वार आधार पर आयातित 30 प्रतिशत से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य + आयातक शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य (भारतीय संभरक के मामले में कारखाना मूल्य को ही मानना होगा)}} \times 100$$

खंड-3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेकों की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट आई डी पी-21 (परियोजना सहायता) से संबंधित 23 फरवरी, 1983 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और एक ओ एस बी और फालतू पुर्जों का निर्माण और संभरण के लिए तथा भारत सरकार की स्वीकृति शर्तों के अनुसार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरकों को भुगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) के बीच येन क्रेडिट सं० आई डीपी-21 से संबंधित 23-2-83 को हुए ऋण समझौते के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओईसीएफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हो।

(घ) 2 (10) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाणपत्र तीन प्रतियों में।

3 (2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास टोकियो को शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत कराएगा और पोतलदान से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में जहां भारतीय आयातक इच्छुक हों सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक का प्रत्येक पोतलदान के पश्चात आवश्यक ब्यौरे देते हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खंड-4 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा (ओ ई सी एफ) द्वारा ठेके का अनुमोदन :—

4 (1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आयातक और संभरक दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की याद भारतीय आयातक द्वारा संभरक को दिए गए खरीद आदेश की 4 प्रतियां जो विदेशी संभरकों द्वारा लिखित रूप में पुष्टि आदेश के साथ हों या उन की हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत वैध आयात लाइसेंस की 2 फोटो प्रतियों सहित जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लाक नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेको के लिए ठेकों की विषय वस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग के लिए ओ ई सी एफ लोन एग्रीमेंट के अंतर्गत वित्तदान करने के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) की संविदा दस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खंड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान-साखपत्र क्रियाविधि :—

5 (1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओईसीएफ) से ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय आर्थिक

कार्य विभाग, जापान अनुभाग द्वारा आयातक तथा सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, को उसकी सूचना दे दी जाएगी। उसके बाद आयातक को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद सी ए ए ए कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र प्रा०/प्र० जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी ए ए एंड ए संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र में अनुबंध-4 में दिए गए के अनुसार अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा को संबोधित अनुबंध-6 (वास्तविक आयातों के लिए) में संलग्न प्रपत्र अथवा अनुबंध 5 और 6 (सेवाओं के लिए) में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

प्राधिकार पत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

5 (2) प्राधिकार पत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सेवाओं के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास टोकियो, भारत में संभरक के बैंक और सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी ए ए एंड ए से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविदा में संशोधन के लिए या अन्यथा रूप से आवश्यक समझे जाने वाले प्राधिकार-पत्र/साखपत्रों के ऐसे सभी संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5 (3) माल का पोतलदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साखपत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रतिपूर्ति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से प्राप्त करेगा।

5 (4) साख-पत्र के अंतर्गत सौदे तय करने के लिए साख-पत्र खोलने के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाये जाने वाले बैंक प्रभार और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभारों के लिए विदेशी संभरक द्वारा किए जाएंगे। उनका भुगतान आयातक द्वारा नहीं किया जाएगा। विदेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत के भुगतान की तिथि से ओ ई सी एफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख तक की अवधि के लिए अदा किए जाने योग्य ब्याज प्रभारों का फैसला भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग सूत्र के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में आयातक के बैंक द्वारा किया जाएगा। (इस ऋण के अधीन सभी बैंक खर्चे आयातक/संभरक के लेखे के लिए हैं)

खंड-6 रुपया जमा कराने का उत्तरदायित्व

6 (1) मूल विनिमय पोत परिवहन दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो अनुबंध-1 के (ण) में उल्लिखित है, की शाखा होगी, उस बैंक को दस्तावेजों के ये विनिमय सेट केवल इस बात का सुनिश्चय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन धनराशि के बराबर रुपया उन मामलों में जहां देने योग्य है ब्याज के खर्चे सहित, जापानी संभरक को भुगतान कर दिया गया है और इस धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगाकर ब्याज सार्वजनिक सूचना सं० 46-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 16-6-1976 के अनुसार सरकारी लेखे में जमा कर दिया गया है। ब्याज दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन जापानी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया जाता है, के लिए देय है, देखिए सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई टीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-1976 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-1974.

येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनाई गई मुद्रा विनिमय की दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-10-76 में यथा निर्धारित मुद्रा विनिमय की प्रचलित मिश्रित दर या समय-समय पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रक परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा अधिसूचित कर होगी। इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में भी कोई भी परिवर्तन जैसे ही आवश्यक होगा अधिसूचित किया जाएगा। **संबंध भारतीय बैंक को इस बात का सुनिश्चय करने का दायित्व होगा कि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व देय धनराशि सरकारी** लेखे में सही रूप से जमा कर दी गई है। आयातक को यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा दी गई हैं लेखा शीर्षक जिसमें उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह है "के डिपोजिट्स एंड एडवांसिज-843-सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा एब्राड परचेज अंडर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंटस फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान" 2.1 बिलियन येन क्रेडिट नं० आई डी पी-21 फार ओ एन जी सी आफशोर सप्लाई वेसल प्रोजेक्ट।

6 (2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार के खाते में सार्वजनिक सूचना स० 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 30-8-68, सं० 233 आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68, स० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71, स० 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और स० 103-आईटीसी (पीएन)/75, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिए।

6 (3) भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना स० 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ब्यौरे" में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट की गई है। खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए :–

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र सं० और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाते हैं।

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि।

उसके पश्चात् सी० ए० ए० एण्ड ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकारपत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोतपरिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान, रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी ए ए एंड ए को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :–भारत मे आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी ए ए एंड ए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6 (4) भारत मे सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित 'एस' प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खंड-7 विविध व्यवस्थाएं : --

7 (1) आयात लाइसेंस के उपयोग की रिपोर्ट

आयातक को पोतलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साखपत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7 (2) विशेष शर्तों को अधिसूचित किए जाने वाले संभरण:—

लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबन्धों से संभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लाने ले जाने में संभरक पर प्रभाव डालती हो।

7 (3) विवाद :—

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नही लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुबंध-3 में भुगतान की शर्त, के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

7 (4) भविष्य अनुदेश :—

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन क्रेडिट समझौते (परियोजना) सहायता सं० आई डी पी 21 के अधीन सभी आभारों को विदेशी आर्थिक सहयोग निधि जापान (ओईसीएफ) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारी को तुरन्त पालन करना चाहिए।

7 (5) अतिक्रमण या उल्लंघन :—

उपर्युक्त खण्डों मे निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

7(6) अनुबंधों की सूची :—

1. अनुबंध-1	पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध-2	अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन
3. अनुबंध-3	प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबंध-4	प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबंध-5	साखपत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)
6. अनुबंध-6	साखपत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)
7. अनुबंध-7	प्रतिपूर्ति क्रियाविधि।

अनुबंध-1

पात्र स्रोत देशों की सूची

(क) विकासशील देश तथा उसके क्षेत्र

(क-1) ओ० पी० ई० सी० से भिन्न विकासशील देश

1. अफ्रीका उत्तरी सहारा

मिश्र
मोरोक्को
टुनीशिया

2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा

अंगोला
बोत्सवाना
बरुण्डी
कैमरेन
केप वर्डी द्वीप समूह
केन्द्रीय अफ्रीका गणतंत्र
चांद
कमोरी द्वीप समूह
कांगो डाहोमे का गणतंत्र
मध्य गिनी (1)
इथोपिया
जाम्बिया
घाना
गिनी
आइवरी कोस्ट
कीनिया
लेसोथे
लाइबेरिया
मालागासी गणतंत्र
मालावी
माली
मारितेनिया मारीशस
मुजाम्बीक
नाइगरा
पुर्तगाली गिनी
रियुनियन
रोडेशिया
रवान्दा
सेन्टहेलिना और डेप (2)
साओटोमो और प्रिन्साइप
सेनेगल
सर्चा लोन
सियरा लिओन
सोमालिया
सूडान
स्वाजी लैण्ड
टेरो आफर्स और इस्सास
टोगो
युगान्डा
तंजानिया संयुक्त गणतंत्र
अपर वोल्टा
जाइरे गणतंत्र
जाम्बिया

3. अमेरिका उत्तरी और केन्द्रीय

बाहमस
बारबाडोस
बलीज
बरमुडा
कोस्टारिका
क्यूबा
डोमिनिकान गणतंत्र
एल साल्वेडोर
ग्वाडे लोप
ग्वाटे माला
हैती
होण्डूरस
जेमैका
मार्टिनिक
मैक्सिको
नीदरलैण्ड एवं टिलीज
निकारगुवा
पनामा
सेन्ट पियरें और मिक्योलोन
ट्रिनिडाड और टोबागो
वेस्टइण्डीज (शाखा) उन आई ई
(क) संबंधित राज्य (1)
(ख) आश्रित (2)

4. दक्षिणी अमेरिका

अर्जेन्टीना
बोलिविया
ब्राजील
चिली
कोलम्बिया
फाल्कलैण्ड द्वीप समूह
फ्रांसीसी गिनी
गुयाना
पाराग्वे
पीरु
सुरिनाम
ऊरुग्वे

5. मध्य एशिया

बेहरीन
इजराइल

जोर्डन
लेबनान
ओमन
सिरियाई अरब गणतंत्र
यूनाइटिड अरब अमीरात (3)
यमन अरब गणतंत्र
यमन जनवादी डी० आर० (4)

(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरनेन्डो पो द्वीप सहित

(3) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—असेशन, ट्रिस्टन डा इन एक्से-सिविस, नाइटिंगेल गफ

(3) मुख्य द्वीप समूह अरुबा बोनेरे क्युराकाओ, साह्वा, सेंट यूस्टासिट, सेट मारटिन (दक्षिणी भाग)

6. दक्षिणी एशिया

अफगानिस्तान
बांगलादेश
भूटान
बर्मा
भारत
मालद्वीप
नेपाल
पाकिस्तान

7. सुदूर पूर्वी एशिया

ब्रुनी
हांगकांग
खमेर गणतंत्र
कोरिया गणतंत्र
लाओस
मकाओ
मलेशिया
फिलिपाइन
सिंगापुर
ताइवान
थाइलैण्ड
तिमोर
वियतनाम गणतंत्र
वियतनाम जनवादी गणतंत्र

8. ओसिनिया

कोक द्वीप समूह
फिजी
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
फांसीसी पोलिनेशिया (5)
नौरू
न्यूकलेन्डोनिया
न्यूहेब्रीसिका (ब्रा० और फे)
मियू
पेसिफिक द्वीप समूह (संयुक्त राज्य) (6)
पापूवा न्यू गिनी
सोलोमन द्वीप समूह (ब्रा०)
टोंगा
वालिस और फतुना
पश्चिमी समाओ

9. यूरोप

साइप्रस
जिब्राल्टर
ग्रीक
माल्टा
स्पेन
तुर्की
यूगोस्लाविया

(1) मुख्य द्वीप समूह.—एंटिगुवा, डोमिनिका, ग्रेनाडा, सेन्ट किट्टस (सेंट क्रिस्टोफ), नेविस एन्गियुला, सेंट लूसिया और विसेन्ट

(2) (2) मुख्य द्वीप मोंतसेरात, सेमान, तुर्कस और काइकोस और ब्रिटिश बरजिन द्वीप समूह, टुआमोटु जाम्बोअर ग्रुप और मार्केसस द्वीप

(3) अजमान, दुबई, फुयूजइरह रास अल खेमाह, शारजाह और ऊम अल क्वाइवैन

(4) अदन और विभिन्न सलतनत और अमीरात सहित।

(5) सोसायटी द्वीप समूह (ताहिती सहित) को शामिल करते हुए आस्ट्राल द्वीप समूह टुआमोटु जाम्बोअर ग्रुप और मार्केसस द्वीप समूह

(6) पेसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मोरिना द्वीप समूह (गुवाम को छोड़कर)

(ए 2) ओ ई पी सी के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया
बोलिविया
लिबियन अरब गणतंत्र
गेबान
नाइजीरिया
इक्वेडोर
वैन्जुएला
ईरान
ईराक
कुवैत
कातार
साऊदी अरब
अबुधाबी
इण्डोनेशिया

अनुबंध-2

ओ०ई०सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्ग दर्शन

1. विज्ञापन

औपचारिक खुली अंतर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविदाएं बोली आमंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति होनी चाहिए। विज्ञापन के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं

2. 1 बोली बाण्ड और गारंटियां

बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं हैं लेकिन, इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार हतोत्साह हो जाए। बोली खुलने के पश्चात् जैसे ही संभव हो बोली बाण्ड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए।

संविदा की शर्तें

2.2 संविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या संभरक के अधिकार और दायित्व और आयातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्टीकरण रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परागत सामान्य शर्तें, जिनमें से कुछ का उल्लेख इन निदेशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और आकार

संविदाएं निष्पादित काम के लिए, इकाई मूल्य के या आवेदित मदों के या एक मुश्त कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनों के समन्वय के आधार पर, प्रदान किए जाने वाले माल या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं। इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्नकी संविदाएं) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करें तो वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे निर्यातक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का वित्तदान ऋण की रकम में से किया जाना है (जिसे उसके बाद "पात्र संभरक" कहा गया है), पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे :—

(1) अभिदान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।

(2) पूर्णकालिक निदेशकों, बहुमत प्राप्त स्रोत देशों के राष्ट्रिकों का होगा।

(3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र स्रोत देशों में होगा।

3. 1 संविदा की कीमत

(क) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मूल्य समंजन कंडिकाएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है। यदि संविदा में प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना चाहिए। माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन को उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन सिविल कार्यों के लिए संविदाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं की जानी चाहिए। मार्ग निर्देशन बिन्दु उन विभिन्न उपबंधों के परिचय का आभास नहीं कराते है जिसके द्वारा संविदा मूल्य समंजित किया जा सके।

(ग) सीमा

सफल बोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों का बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा या विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समर्थित क्रय आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी खण्ड को स्वीकार्य हैं ?

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण जोड़ा जाएगा :

"मैं (हम) एतद् द्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी पात्र संभरक है क्योंकि शेयरों का

.......प्रतिशत (%)......... (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है, और ....प्रतिशत ( ) निदेशक........... (पात्र स्रोत देश) के राष्ट्रिक हैं और (हमारी) अपनी कम्पनी...... (पात्र स्रोत देश) में पंजीकृत कराई गई है।

4. 1 मानदण्ड

यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टीकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्य वस्तुएं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चित करती है उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4. 2 ब्राण्ड नामों का प्रयोग

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होनी चाहिए और उन्हें एक केवल ब्राण्ड नाम, सूची संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टकरण की उन विकल्पों, पण्यवस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए। जिनकी विशेषता मिलती जुलती है और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पादन और गुण उनमें है।

4. 3 गारन्टी निष्पादन बांड और रोकी गई धनराशि

नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो बैंक गारन्टी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में ऋणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि बोली दस्तावेजों में निरुपति की जानी चाहिए।

माल की सप्लाई के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारन्टी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोकी रखी गई धनराशि को कुल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होना चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली क्षति

ऋणी को जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बद्ध प्रावधान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति

बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स मेज्योर) के फलस्वरूप हुई है (संविदा की शर्तों में इसकी परिमाण दी जानी है)।

7. झगड़ों का निपटान

झगडों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएं संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएं जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होनी चाहिएं।

8. भाषा की व्यवस्था

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिएं। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9.1. बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकतर संविदा की महत्वता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। जहां पर नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली-भांति देखभाल करने के लिए आम तौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिएं। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9. 2 बोली खोलने की क्रियाविधि

बोलियों की अंतिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियां निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिएं। इस समय के बाद प्राप्त हुई

बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए। यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन

बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े। आयातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली के सारांश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रियाविधि

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय से संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों में औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तब तक नहीं बताया जाना चाहिये जब तक कि सफल बोलीकार के लिये संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9. 5 बोलियों की जांच

बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि क्या कोई बोलियों के परिवर्तन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार हैं, क्या आवश्यक जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित है और क्या बोलियां सामान्यतः अन्यथा रूप से सही है, यदि बोलियां मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं है या उसमें अस्वीकृत शर्तें है या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजो के अनुसार नहीं है तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिये। इसके बाद प्रत्येक बोली के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिये।

9. 6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएं

पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिये कि वह इस बात का सुनिश्चय करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिये क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये।

9. 7. बोलियों का मूल्यांकन और मिलान

बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार होना चाहिये। गणितीय गलतियां के लिये समजित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुर्जों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य के तरीकों की विश्वसनीयता को विचार में लिया जाना चाहिये जहां तक सम्भव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टिकृत मानदण्ड के अनुसार पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिये यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समजित कीमत के लिये वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिये।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्रायें जिनमें मूल्य आंका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जायेगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिये और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिये। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिये विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिये और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाये जब तक बोलियां खुलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिये। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिये।

9. 8. बोलियों को अस्वीकृत करना

बोली दस्तावेजों में सामान्यतः यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते है। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिये और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिये। यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिये भी तब औचित्य देने चाहिये जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार न हों या (ख) बहुत कम प्रतियोगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिये कि वह उस कारण या उस कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टिकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिये मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करे विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद ऋणी सन्तोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिये किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीकार या दो बोलीकारों के साथ सौदा कर सकता है।

9. 9. संविदा का निर्णय

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिये किया जाना चाहिये जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिये यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि वह निर्णय की एक शर्त

के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिये या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिये जिम्मेदारी ले।

अनुबंध-3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र

सं०······ दिनांक······

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:—येन क्रेडिट ओ ई सी एफ ऋण समझौते के अधीन जापान से··················· का आयात

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट ओ ई सी एफ ऋण समझौते के अधीन ··················से·········
··············· जो कि··················
के अयात के संबंध में···············(बैंक का नाम) जो कि वहीं होना चाहिये जो नीचे (ड) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साखपत्र खोलने के लिये दिया गया है को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिये हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके ·········· क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुले अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इस मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिये कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्‌गम देश

(च) यदि कोई हो तो माल से इतर स्त्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में)।

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में देय भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि (येन में)।

(झ) समुद्रपार संभरकों को येन में देय वास्तविक लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिये प्राधिकार पत्र मांगा गया है।

(ञ) समुद्रपार के संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक।

(ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता:

(ठ) वे भुगतान शर्तें और संभावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे।

(ड) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि।

(ढ) भारतीय बैंक टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की सं० और उनका निपटान दिखाते हुए)।

(ण) पोतलदान अनुदेश (बाहनान्तरण/पार्टशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिये)

(त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता

(थ) क्या उसी लाइसेंस के अतर्गत संविदा (संविदायें) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई हैं यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अन्तर्गत ओ ई सी एफ को इसे आधारित किया गया है।

(द) क्या भारतीय बैंक टोकियो को देय अपरिवर्तनीय खास पत्र खोलने और रख-रखाव के खर्चे आयातक/संभरक को देने होंगे।

अनुबंध 4

(प्राधिकार पत्र प्रपत्र)

संख्या एफ०

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली,

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,
टोकियो शाखा,
टोकियो, (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं० के अधीन आयात साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 30-10-76 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्‌द्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री··········के नाम में·············येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ ई सी एफ भारतीय दूतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारंभ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा। भुगतान के बाद ओ ई सी एफ को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ ई सी एफ द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय के लिए उपर्युक्त समझौते के अनुसार आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही ब्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रखरखाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्च भी शामिल है क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित है और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे भी आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा ओ ई सी एफ में नहीं किया जा सकता जब और जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और आपको प्रतिपूर्ति की जाती है तो निर्धारित प्रपत्र में एक सूचना इस मंत्रालय को भेजनी चाहिए।

यह प्राधिकारपत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है। इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मद्दे खोले गए आगे के नए साख पत्र या साख पत्र के बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकारपत्र .... तक वैध रहेगा।

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक .... को उनके पत्र सं० .... दिनांक के .... के संदर्भ में।
2. आयातक के बैंक .... । उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्ति करने पर विदेशी संभरक को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई टी सी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अदायगी करने की तिथि से बराबर के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई टी सी (पीएन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15% की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा कराना होगा। ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में जमा रुपया निक्षेप किया जाता है। यदि इस दर में कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त इसकी सूचना दी जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं० 22 दिनांक 18-6-77 में दिए गए के अनुसार आयातकों द्वारा बाकी रुपए जमा कराने के लिए अनुदेशों को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में जमा करानी चाहिए या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या उसके सहायक बैंकों से या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से (अर्हक) आयातक द्वारा प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी (निकालने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले) के नाम में निकालने के लिए और भुगतान के लिए प्रेषित किया जाना चाहिए।

वह "के डिपोजिट्स एंड एडवांसिज 843 सिविल डिपोजिटस—डिपोजिट्स फार परचेजिस एक्सक्ट्रा" एब्राड परचेजिस अंडर क्रेडिट लोन एग्रीमेंट "लोन फ्राम दि गवर्नमेंट आफ जापान"—ओ० ई० सी० एफ० लोन एग्रीमेंट नं० आई० डी० पी०-21 आफ येन 2.1 बिलियन है।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सू० सं० 132-आई टी सी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनको चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक आफ इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित निम्नलिखित पते पर भेजनी चाहिए।

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),
पहली मंजिल, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० 24-10-1968 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिएं। सभी मामलों में, जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक ओ०ई० सी० एफ० द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो को किए गए ब्याज प्रभार बैंक आफ इंडिया, टोकियो के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना सीधे ही आपके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2, समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, टेकूबसी न्यूडो बिल्डिंग, 4-1, ओहाटमेची-1, कोमे,
चियोडा-कू-टोकियो-100, जापान।

4. भारतीय दूतावास टोकियो।

5. अवर सचिव, जापान अनुभाग,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली।

लेखा अधिकारी

अनुबंध 5

(ओ० ई० सी० एफ० एल० सी०-1 का प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साखपत्र

(माल के लिए लाभ)

सेवा में, ...	दिनांक ....
....	यह साख पत्र (ऋणी) और
....	विदेशी आर्थिक सहयोग निधि
....	के बीच हुए ऋण करार
(संभरक का नाम और	सं० .... के
पता)	दिनांक .... के
	अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते है कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए हुण्डी दर्शनी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साख पत्र सं .... खोल दिया है जो .... येन (................ येन कह सकते है) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है, इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित, वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोत लदान बिल जिनमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट" एवं "नोटिफाइड"

अन्य दस्तावेज जिस .... से .... तक लदान का सत्यापन किया गया हो (संविदा संख्या .... (यदि कोई हो) के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है वाहनान्तरण स्वीकृत है।

पोतलदान बिल जो .... से बात की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशिती को ड्राफ्ट .... 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिएं।

इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। "अपरिवर्तनीय साख पत्र सं० .... दिनांक .... 19 के अंतर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ संख्या (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तांतरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाये गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किये जायेंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताया जाये कि क्रेडिट "यूनिफार्म" कस्टम एंड प्रैक्टिस फार डाकूमेंट्स (1974 रिविजन) इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश.—

1. उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किये गये वचनपत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान के लिये प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम वचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हमें ड्राफ्ट्स और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाणपत्र अवश्य भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा .... को भेज दिये गये हैं।

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक संभरक के लेखे के लिये है।

भवदीय,

( )

वाणिज्यिक बैंक

द्वारा ....

प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान शर्तें

यह भुगतान शर्तें हमारे साख पत्र सं० .... का अभिन्न अंग हैं।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि .... येन जो कि कुल
संविदा मूल्य के प्रतिशत है।
अपेक्षित दस्तावेज
प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि .... येन

जो कि कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत है।

3. अपेक्षित दस्तावेज

प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

4. पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे भुगतान

धनराशि .... येन

संविदा के कुल मूल्य का .... प्रतिशत है।

टिप्पणी—पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध 6

(प्रपत्र ओ०ई०सी०एफ०एल०सी०-2)

अपरिवर्तनीय साख-पत्र

(सेवाओं के लिये)

सेवा में, दिनांक ....

.... यह साख-पत्र ऋणी और
.... विदेशी आर्थिक सहयोग
.... निधि के बीच हुए ऋण करार
.... सं० ...... दिनांक ....
(संभरक का नाम व पता) के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिये पूर्ण ब्यौरे मूल्य के लिये लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिये आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साख पत्र सं० .... खोल दिया है जो ये .... (येन .... पहले) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित (संविदा .... और परियोजना (........ से संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिये ड्राफ्ट .... से पहले प्रस्तुत किये जाने चाहिएं।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं० .... दिनांक .... के अन्तर्गत भुना लिये गये हैं से चिन्हित होने चाहिएं।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है।

हम एतद्द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अन्तर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाये गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किये जायेंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तारपूर्वक न बताये जायें यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाकूमेंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स नं० 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेश

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किये गये निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अन्तर्गत भुगतान इसमें संलग्न सीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किये जाने चाहिएं। प्रारंभिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निष्पादन के विवरण में बताये गये लाभकारी विवरण की आवश्यकता है।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किये गये वचनबद्धता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिये प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मोल-तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते है।

3. उपर्युक्त मद-1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जायेंगे।

4. इस साख के अन्तर्गत बैंक के सभी खर्चे आयातक/सभरकों के लेखे के लिये है।

भवदीय,

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख पत्र सं० .... का एक अभिन्न अंग है।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि .... येन

कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत है अपेक्षित दस्तावेजे लाभकारी विवरण की अन्तिम भुगतान तिथि :—

2. भुगतान वृद्धि

संपूर्ण योग की धनराशि .... येन

कुल संविदा मूल्य का .... प्रतिशत निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है :—

	देय धनराशि	अन्तिम भुगतान तिथि
	येन	
पहली किश्त	येन	
दूसरी किश्त	येन	
....	....	

अपेक्षित दस्तावेज (ऋणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किये गये निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है।

निष्पादन का विवरण

दिनांक ....

संदर्भ सं० ....

सेवा में,

....

....

....

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ :—ऋण करार सं० .... के अन्तर्गत .... परियोजना से संबंधित .... के नाम में .... येन के लिये .... द्वारा जारी किये गये साख पत्र की सं० .... दिनांक ....)

मैं अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि (ऋणी) एतद्द्वारा .... और .... के बीच समझौता सं० .... दिनांक .... में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा .... की धनराशि (........................... येन केवल) प्राप्त करने के लिये एक निष्पादन विवरण जारी करता हूं।

( )

(ऋणी)

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जायेगा।

अनुबंध 7

प्रति पूर्ति की क्रियाविधि

भारतीय संभरकों से माल और सेवाओं की खरीद के लिये ऋण की रकम के वितरण के लिये क्रियाविधि निम्नलिखित सम्पूरक शर्तों के साथ संलग्न प्रति पूर्ति क्रियाविधि के अनुसार होगी।

प्रति जापानी येन के लिये भारतीय रुपये की विनिमय दर मार्ग निर्देशन के खंड 4.07 में यथा निर्दिष्ट बोली आरम्भ होने की तिथि को दिये गये निर्णय के अनुसार होगी। प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन के साथ ऋणी बोली आरम्भ होने के दिन येन रुपया विनिमय की दर प्रमाणित करते हुए मान्यता प्राप्त बैंक से एक बैंक प्रमाण पत्र भी भेजेगा।

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि

प्रतिपूर्ति क्रियाविधि

1. ऐसी क्रियाविधि का अनुसरण उन मामलों में करना है जिनमें निधि के वित्तदान के लिए उपयुक्त खर्चे पहले ही कर लिए गए हों, ऐसे खर्चों में निम्नलिखित खर्चे शामिल हैं :—

1. निर्दिष्ट माल के संभरकों को भुगतान, या
2. सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान या परिवहन, बीमा आदि सेवाओं के लिए भुगतान, या
3. सिविल कार्य ठेकों (इंजीनियरी, निर्माण और संस्थापन) के अन्तर्गत भुगतान

ये भुगतान साख पत्र के अन्तर्गत या अन्य रूप से किए जा सकते हैं। संबंधित ठेकों की शर्तों पर निर्भर करते हुए भी ऐसे भुगतानों में माल के निर्माण, आवधिक या आंशिक सेवाएं प्रदान करने या सिविल कार्यों के ठेकों के अन्तर्गत कार्य की प्रगति के मद्दे किए गए पूर्ण समझौता भुगतान, या अपूर्ण भुगतान या आंशिक (प्रगति) भुगतान हो सकते हैं।

2(1) ऊपर उल्लिखित खर्चों के लिए अदायगी का दावा संलग्न प्रपत्र ओ ई सी एफ आर एम पी में आदायगी के लिए आवेदन भेजकर किया जा सकता है।

जिन मामलों में निधि स्थानीय मुद्रा (अर्थात् ऋणी के देश की मुद्रा) में किए गए खर्च के मद्दे ऋण में से विदेशी मुद्रा देने के लिए सहमत हो गई हों उनमें आवेदन जापानी येन के अनुसार किया जाएगा और मांगी गई धनराशि स्थानीय मुद्रा के वास्तव में किए गए खर्चों का सहमति प्राप्त होगी। ऐसी स्थानीय मुद्रा की प्रति जापानी येन विनिमय दर निधि और ऋणी के बीच अलग से तय की जाएगी।

इस बात का सुनिश्चय करने का ध्यान रखना चाहिए कि निधि को आवेदन उस तिथि से कम से कम दस (10)

दिन पहले पहुंच जाए जिस तिथि को अदायगी की जाती है।

(2) इस क्रियाविधि के अन्तर्गत अदायगी के लिए पत्र और उससे संलग्न संक्षिप्त विवरण पत्र निधि को दो प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे और दोनों प्रतियां ऋणी या उसके मनोनीत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगी। आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज (केवल एक प्रति) भेजे जाएंगे। मूल दस्तावेज भेजना आवश्यक नहीं है, फोटो स्टेट प्रति ही पर्याप्त होगी —

(क) माल की सुपुर्दगी/पोतलदान के मद्दे संभरकों को किए जाने वाले भुगतानों के लिए :—

(1) जो माल संभरित किया गया है/लादा जा रहा है उसकी मात्रा और कीमतें निर्दिष्ट करते हुए संभरक से बीजक,

(2) बीजक में सूचीबद्ध माल के पोतलदान/सुपुर्दगी का साक्ष्य देते हुए लदान बिल या समान दस्तावेज,

(3) संभरक को किए गए भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए मुद्रा विनिमय बिल या इसी प्रकार के दस्तावेज, भुगतान की तिथि और धनराशि दर्शाते हुए संभरक से एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

(ख) माल की सुपुर्दगी/पोतलदान से पहले संभरक को किए गए भुगतानों के लिए :—

(1) वह ठेका या क्रय आदेश जिसके अधीन भुगतान किया गया है,

(2) संभरक को किए गए भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए विनिमय बिल या इसी प्रकार के दस्तावेज, भुगतान की तिथि और धनराशि को दर्शाते हुए संभरक से एक सादी रसीद भी पार्याप्त होगी।

(ग) सलाहकारों की सेवाओं के लिए भुगतान के लिए

(1) प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप और उनकी अवधि का ब्यौरा देते हुए सलाहकारों के साथ ठेके और भुगतान की शर्तें,

(2) सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं, ली गई अवधि और उनको चुकाने योग्य धनराशि के पर्याप्त ब्यौरे निर्दिष्ट करते हुए सलाहकारों द्वारा मांगी गई धनराशि,

(3) सलाहकारों को किए गए भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए निरस्त बैंक चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट या समान दस्तावेज, भुगतान की तिथि और धनराशि प्रदर्शित करते हुए सलाहकारों से एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

(घ) अन्य अर्पित सेवाओं के लिए भुगतान के लिए

(1) अर्पित सेवाओं के स्वरूप और उनके लिए अदा की गई धनराशि को निर्दिष्ट करते हुए बिल दावा या बीजक

(2) किए गए भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए निरस्त किया गया बैंक का चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट या समान दस्तावेज भगतान की तिथि और धनराशि को प्रदर्शित करते हुए एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

यदि ऐसी सेवाएं माल के आयात (अर्थात् भाड़ा बीमा भुगतान) से संबंधित है तो पर्याप्त विवरण देना चाहिए जिससे कि जिस विशेष माल की लागत निधि द्वारा चुकाई गई है या चुकाई जानी है उस माल से निधि इन मदों में से प्रत्येक को संबंधित कर सके।

(ङ) सिविल कार्यों के ठेकों के अन्तर्गत भुगतानों के लिए

(1) पूर्ण किए जाने वाले निर्माण/इंजीनियरी कार्य के ब्यौरे देते हुए ठेका और उसके लिए भुगतान की शर्तें,

(2) ठेकेदार द्वारा पूर्ण किए गए कार्य और उसके लिए मांगी गई धनराशि का पर्याप्त ब्यौरा देते हुए ठेकेदार मांग, बिल या बीजक,

(3) इस संबंध में एक प्रमाणपत्र कि ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक है और संबंधित ठेके की शर्तों के अनुसार है ऐसे प्रमाण पत्र पर ऋणी द्वारा परियोजना के लिए मनोनीत मुख्य इंजीनियरी अधिकारी हस्ताक्षर करेगा।

(4) ठेकेदार को किए गए भुगतान की तिथि और धनराशि का साक्ष्य देते हुए बैंक का निरस्त किया गया चैक, भुगतान की तिथि और धनराशि को प्रदर्शित करते हुए ठेकेदार से एक सादी रसीद भी पर्याप्त होगी।

(3) उपर्युक्त सभी मामलों में यदि भुगतान साखपत्र के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से किया गया हो तो इस अनुबंध से सलग्न प्रपत्र जी ई सी एफ आर एम पी-1 में ऐसे बैंक से एक रिपोर्ट विनिमय बिल, क्रास्ड चैक आदि के बदले में प्रस्तुत की जा सकती है।

3. निधि यह जांच करने के बाद कि अदायगी के लिए आवेदन पत्र सही है, ऋण समझौते के उपबन्धों और सम्बद्ध ठेके की शर्तों के अनुसार है तो वह जापान के नियमों और विनियमों के अनुसार आवेदन पत्र मे यथा निर्दिष्ट तिथि को टोकियो के विदेशी मुद्रा के किसी प्राधिकृत बैंक में अनावासी स्वतंत्र येन लेखे में ऋणी को जपानी येन में आवेदित धनराशि अदा करेगी। ऐसी अदायगी ही ऋणी का वितरण होगी।

4. यह नोट कर लिया जाए कि उपर्युक्त पैरा 2(2) में उल्लिखित सभी मामलों में निधि द्वारा आबटन, किए

गए विशेष खर्चों के मद्दे किए जाते हैं। लेकिन, यह भी संभव है कि कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर ऋण के एक विशेष भाग का आवंटन करने के लिए निधि सहमत हो जाए। ऐसे मामलों में वास्तविक खर्चे मुद्रा विशेष में उपलब्ध न होने के कारण निधि जापानी येन में अदायगी के लिए आवेदन स्वीकार कर लेगी। जब तक निधि द्वारा अन्य प्रकार से वांछित न हो या सहमति न हो प्रत्येक आवेदन पत्र नीचे निर्दिष्ट सूत्रों पर एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा। प्रमाण पत्र का खंड-1 परियोजना के लिए ऋणी द्वारा मनोनीत मुख्य इंजीनियरी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी और खंड 2 ऋणी की ओर से आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति(यों) द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

प्रमाण पत्र (खंड-1)

दिनांक ················

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक ··········· को ······················ से संबंधित कार्य की प्रगति ······················ प्रतिशत थी।

हस्ताक्षर ··················

नाम ··················

ओहदा या पदनाम ···········

प्रमाण पत्र (खंड-2)

कार्य की प्रगति के आधार पर निधि के ऋण की धनराशि येन ············ (·················· येन) है, उपर्युक्त खंड 1 में प्रमाणित प्रतिशतता के आधार पर ऋण के आवंटन के लिए देय धनराशि येन ················ (·················· येन) आती है/येन..... ·················· येन) की धनराशि आवेदन सं० ························ तक और उसके सहित अदायगी के लिए आवेदनों पर पहले ही आवंटित कर दी गई है और येन ··············(··········· येन) की शेष धनराशि का आवंटन करने के लिए यह आवेदन किया जाता है।

(...............)

ऋणी का नाम

द्वारा ····················

(प्राधिकृत हस्ताक्षर

प्रपत्र : ओईसीएफ-आरएमपी

अदायगी के लिए आवेदन

दिनांक ················.

ऋण संख्या ················.

परिशिष्ट क्रम सं० ··········

सेवा में,

विदेशी आर्थिक सहयोग निधि
टोकियो, जापान

ध्यानाकर्षण : प्रबन्धक, ऋण विभाग

महानुभाव,

1. विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (जिसे इसके बाद निधि कहा गया है) और (ऋणी) के बीच ऋणी समझौता सं० ······················ दिनांक ········ के अनुसार अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा संलग्न सारांश पत्र (i) में यथा उल्लिखित खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए उक्त ऋण समझौते के अन्तर्गत येन, ····················· (अर्थात् ························ येन) की धनराशि की अदायगी के लिए आवेदन करता है।

2. अधोहस्ताक्षरी ने संलग्न सारांश पत्र (i) में उल्लिखित खर्चों की अदायगी या प्रतिपूर्ति के लिए ऋण से किसी भी धनराशि की अदायगी के लिए पहले कभी आवेदन नहीं किया है। यदि कोई लघु अवधि के ऋण या उधार खाता जो इस आवेदन पत्र में आवेदित प्रतिपूर्ति की प्रत्याशा में स्थापित किए गए हों और इस आवेदन पत्र के अन्तर्गत अदा की जाने वाली निधि के साथ पूर्णरूपेण चुकाने के लिए खोले गए हों, तो ऐसे प्रत्याशित लघु अवधि के ऋणों पर चुकाए गए खर्चे कमीशन या ब्याज इस आवेदन पत्र में आवेदित अदा की जाने वाली धनराशि में शामिल नहीं हैं, ऐसे लघु अवधि के ऋणों को छोड़कर अधोहस्ताक्षरी ने उसको उपलब्ध किसी भी अन्य ऋण, आधार या अनुदान में से ऐसे कार्य के लिए न तो कोई निधि प्राप्त की है और न करेगा।

3. अधोहस्ताक्षरी यह प्रमाणित करता है कि :—

(क) एतद्द्वारा अदा करने के लिए मांगे गए खर्चे ऋण समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों पर किए गए थे,

(ख) इन खर्चों से खरीदे गए माल और सेवाएं उक्त समझौते के अनुसार निधि के साथ तय की गई लागू अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार अधिप्राप्त किए गए हैं और उनकी खरीद की लागत और शर्तें उचित हैं,

(ग) उक्त माल और सेवाओं की आपूर्ति संलग्न सारांश पत्रों(i) उल्लिखित संभरक (i) द्वारा की गई की

थी या की जाएगी और निधि के ऋण के लिए (या, सेवाओं के मामले में, से संभरित) देश (देशों) को प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) अधोहस्ताक्षरी की जहां तक जानकारी एवं विश्वास है, इस आवेदन पत्र की तिथि तक ऋण समझौते के अन्तर्गत और न किसी भी गारण्टी के अन्तर्गत कोई भी चूक नहीं हुई है।

4. कृपया ·················· के ········
(लेनदार)
······································)
(टोकियों में प्राधिकृत विदेशी मुद्रा बैंक का नाम और पता)
के साथ गैर आवासी स्वतन्त्र येन लेखे में ············
(अदायगी की तिथि)

को चुका कर इस आवेदन पत्र में आशयित धनराशि अदा करें।

5. इस आवेदन पत्र में ················ और
(पृष्ठों की संख्या)
························ हस्ताक्षरित सारांश पत्र
(संख्या)
हैं।

················
(ऋणी का नाम)

द्वारा ··················
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

प्रपत्र ओ ई सी एफ-आर एम पी-एस एस

दिनांक ······················

ऋण सं० ····················

आवेदन पत्र की पत्र सं० ·············

सारांश शीट सं ····························

श्रेणी/उपश्रेणी की संख्या और शीर्षक ································

(10 मदों से अधिक के लिए उसी तरीके से अतिरिक्त शीटों का उपयोग करें)

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
क्र० सं०	सुपुर्दगी की तारीख	उद्गम का देश	माल और सेवाओं का विवरण	संभरण ठेके या क्रयआदेश की सं० और दिन	संभरण का नाम और पता	भुगतान की तिथि	अदा की गई धनराशि		दावा की गई धनराशि सहमत भाग (9/8%)	किए गए भुगतान की किस्म	अभ्युक्ति
							स्थानीय मुद्रा में	विनिमय दर (प्रति येन)			
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											

टिप्पणी: कालम 9 का प्रत्येक मद के सामने संकेत किया जाता है, चाहे भुगतान तत्क्षण भुगतान के रूप में हो या किश्तों में यदि ऐसा है तो किश्तों की संख्या या तय किए गए के अनुसार पूर्ण अग्रिम भुगतान हो।

ओ ई सी एफ-आर एम पी-1

भुगतान की वाणिज्यिक बैंक की रिपोर्ट

दिनांक ....

सेवा में,

....

(ऋणी या ऋणी के प्रतिनिधि का नाम और पता)

महोदय,

हम ....के लेखे
(क्रेता का नाम और पता)
के लिए................................द्वारा
स्थापित साखपत्र सं० ....
(संगत बैंक का नाम और पता)
के अन्तर्गत ....को..................
(संभरक का नाम और पता) (भुगतान की तिथि)
का.......................की धनराशि अदा करने
(धनराशि की मुद्रा)
अदा करने के बाद सूचना देते हैं।
हमारे भुगतान का कमीशन ....
(धनराशि की मुद्रा)
धनराशि बनती है।

भुगतान यथा विशिष्टिकृत दस्तावेजों की सुपुर्दगी के मद्दे और ....से..........
(पोतलदान का पत्तन) (गन्तव्य स्थान)
को ....
(सौदे का सामान्य विवरण मात्रा आदि सहित)
के पोतलदान का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए उपर्युक्त साखपत्र की शर्तों के अनुसार किया गया।

समुद्री दस्तावेज हमारे उपर्युक्त संगत बैंक को भेज दिए गए हैं। संभरक के बीजक के प्रति संलग्न है।

भवदीय

....

(वाणिज्यिक बैंक)

द्वारा ....

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

MINISTRY OF COMMERCE

(IMPORT TRADE CONTROL)

Public Notice No. 27-ITC(PN)/83

New Delhi, the 2nd August, 1983

Subject: Licensing conditions for import of one offshore Supply Vessel and spare parts by ONGC under the Yen Credit of Yen 2.1 Billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan.

File No. IPC|23 (6)|83.—The terms and conditions for import of one Offshore Supply vessel and Spare Parts by ONGC under the Yen Credit of Yen 2.1 Billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan, as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

P. C. JAIN, Chief Controller,
Imports and Exports

APPENDIX

LICENSING CONDITIONS FOR THE IMPORT OF ONE O.S.V. AND SPARE PARTS UNDER THE YEN CREDIT OF YEN 2.1 BILLION EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (OECF) OF JAPAN

Section I-General Conditions :

I(i) The Yen Credit of Y 2.1 billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import of one O.S.V. and spare parts by ONGC is untied in favour of Japan and all the developing countries. Accordingly the imports under this credit can be made from Japan and all the countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under this Credit.

I(ii) The value of import licence(s) issued under this Credit should not exceed Yen 2.2 billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78-ITC (PN)|74 dated the 6th June, 1974, issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P. 21". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&F forwarding the import licence to the O.N.G.C., a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Japan Section).

I(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of Oil and Natural Gas Commission.

I(iv) Only one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Yen 2.2 Billion as specified at (i) above.

I(v) The extension of the validity of the import licence, may on application by the O.N.G.C. be granted upto December, 1986. Request for further extension, if any, should be referred to the Department of Economic Affairs, (Japan Section).

I(vi) Imports to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I(vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the Agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(viii) Firm order must be placed on C&F basis on the Overseas Suppliers located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the Import Licence. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter or purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas suppliers. Order confirmation by Indian Agents of overseas suppliers are not acceptable.

I(ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in Para I(viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons, why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension up to a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months, from the date of issue of the import licence, such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs, (Japan Section) Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee.

Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I(x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the Overseas Supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows :—

> "....Months after the receipt of Letter of Credit but to be completed latest by the end of ....".

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31-12-1986.

Section II—Special points to be kept in view while negotiating a supply contract.

II(i) The C&F value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II(ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF YEN Credit (Project Aid) are given in Annexure-II. However, normally the procurement of goods and services should be made through Formal Open International Tendering and the following points should be borne in mind :—

(a) Invitations to bid shall have to be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

(b) Bid bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders.

(c) Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II(iii) In cases where Formal Open International Tendering is not considered appropriate the Fund will accept the following alternative procedures :—

(a) Where the importer has convincing reasons for maintaining a reasonable standardisation of his equipment.

(b) Where the number of qualified suppliers is limited.

(c) Where the amount involved in the procurement is so small that foreign firms clearly would not be interested, or that the advantages of formal open international tendering would be outweighted by the administrative burden involved.

(d) Where, in addition to the cases, (a), (b) and (c) above, the Fund deems it inappropriate to follow the formal open international tendering procedures or the Fund deems such procedure inapplicable, e.g. in case of emergency procurement.

In the above-mentioned cases the following procurement procedure may be applied in such a manner as to comply with the formal open international tendering procedures to the fullest possible extent as appropriate :

(i) Formal Selective International Tendering.

(ii) Informal International Competitive Procurement.

(iii) Direct Purchases from a single supplier.

II(iv) The Borrower shall obtain the prior approval of the Fund, if the Borrower wishes to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the Loan, submitting to the Fund an application for approval of procurement methods(s) signed by duly authorised person together with its reasoning.

II(v) Prior to inviting bids for the procurement of goods and services, the Borrower shall submit to the Fund for its approval copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, general conditions of contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding.

II(vi) All the documents mentioned in II(iv) and II (v) above should be submitted by ONGC to the Department of Economic Affairs (Japan Section) in duplicate, for obtaining the approval of the OECF. It should be noted that purchase contracts will be notified by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Japan Section) to the OECF for approval only after the above mentioned documents have been submitted to the OECF.

II(vii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to the opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No. ID-P. 21 for 1982-83 the details of which are given in Section VI below.

II(viii) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II(ix) Eligibility of Supplier

The Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source countries.

II(x) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of goods and supplier, signed and dated by the Supplier shall be attached to each Contract :

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in ————(eligible source country).

I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty-per cent (30%) in accordance with the following formula .

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price (where applicable Ex-factory Price)}} \times 100\text{" and}$$

"I, the undersigned, hereby certify that ——————(name of company) has been incorporated and registered in——————(name of eligible source country), and is controlled by nationals of the eligible source countries".

II(xi) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) of the price per unit of such products according to the following formula :

Imported CIF Price+Import Duty×100
Supplier's FOB Price (in case of Indian Suppliers, Ex-factory Price shall be adopted).

Section III—Conditions to be incorporated in the supply contracts.

III(i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract :

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 23rd February, 1983 concerning the Yen Credit No. ID-P. 21 (Project Aid) for the construction and supply of one O.S.V. and spare parts and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

(b) Payments to the suppliers shall be made through an irrevocable Letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo, under the Loan Agreement No. ID-P. 21 dated 23rd February, 1983 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

(c) The Overseas Suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen Credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificate (quarduplicate) in the forms indicated in II(x).

III(ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agrees to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV—Contract Approval by OECF.

Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both importer and suppliers or Purchase order by an Indian importer placed on the Suppliers supported by order confirmation in writing by the supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under the OECF loan agreement.

Section V—Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit Procedure.

V(i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, Importer and the CAA&A will be informed of the same. Whereafter the importer should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure III for the issue of a Letter of Authorisation (L|A). The CAA&A will issue a Letter of Authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF. the Embassy of India, Tokyo the importer's bank in India, and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V(ii) On receipt of the Letter of Authority, the Bank of India, Tokyo will establish an irrevocable Letter of Credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo, the importer's bank in India and the CAA&A.

The above procedure of opening of Letter of Credit on the basis of the Letters of Authority from

CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to Letter of Authorisation|Letter of Credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V(iii) The overseas supplier shall, after affecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the Letter of Credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V(iv) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for opening the Letter of Credit, for negotiations thereunder and charges, if any, of overseas supplier's banker and interest charges, payable to the Bank of India, Tokyo for the period counting from the date of payment of the cost of imports by them to the overseas supplier to the date of reimbursement by the OECF shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the Bank of India, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account. (All banking charges under this credit are for the account of the importer|supplier).

Section VI—Responsibility for rupee deposit.

VI(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks a mentioned in (p) in Annexure-III who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen payments made to the Japanese Supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC (PN)|76 dated 16th June, 1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC (PN)|74 dated 31st May, 1974, as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)|76 dated 12th October, 1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)|76 dated 17th January, 1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc.-abroad-purchase under Credit|Loan Agreements—Loans from the Government of Japan"—2.1 billion Yen Credit No. ID-P.21 for ONGC Offshore Supply Vessel Project.

VI(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi or State Bank of India, Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)|68 dated 30th August, 1968, No. 233-ITC(PN)|68 dated 24th October, 1968, No. 132-ITC(PN)|71 dated 5th October, 1971, No. 74-ITC(PN)|74 dated 31st May, 1974 and No. 103-ITC(PN)|76 dated 12th October, 1976.

VI(iii) The concerned Bank of India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs). While filling in the various columns in the challan it should be ensured by the importers|their bankers that the information prescribed in para 2 of the Public Notice No. 132-ITC(PN)|71 dated 5th October, 1971 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans:—

(a) Ministry of Finance letter of authority No. and date.

(b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of Payment to the Overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents,

Note.—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed of the fact immediately thereafter.

VI(iv) The concerned Bank of India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section VII—Miscellaneous provisions.

VII(i) Reports on the utilisation of the import licence.—The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII(iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the suppliers before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VII(iv) Future instructions.—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen Credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.21 with the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

VII(v) Breach or violation.—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VII(vi) List of Annexures :

Annexure-I —List of eligible source countries.

Annexure-II —Broad Guidelines for Procurement.

Annexure-III —Request for issue of Letter of Authority.

Annexure-IV —Form of Letter of Authority.

Annexure-V —Form of Letter of Credit (Applicable to physical Imports).

Annexure-VI —Form of Letter of Credit (Applicable to Services).

Annexure-VII —Reimbursement Procedure.

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories

(a1) Non-OPEC Developing Countries :

I. AFRICA, North of Sahara
Egypt
Morocco
Tunisia

II. AFRICA, South of Sahara
Angola
Botswana
Burundi
Camereon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomay
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Moozambique
Niger
Portuguese Guinea

Renunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Terro. Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. AMERICA, North and Cont
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands AnTilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

(1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.

(2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.

(3) Main islands, Aruba, Bonaire, Curacao, Saha, St. Eustacit St. Martin (Southern part).

AMERICA, North and Central
West Indies (Br.) n.i.e.
(a) Associated States (1)
(b) Dependencies (2)

IV. AMERICA, South
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. ASIA, Middle East
Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. ASIA, South
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. ASIA, Far East
Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Phillippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Republic
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. OCEANIA
Coek Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Nauru
New Calendonia
New Hebrices (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. EUROPE
Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain

Turkey
Yugoslavia

---

(1) Main islands: Antique, Dominica, Grenda, St. Kitts (St. Caristophe), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.

(2) Main islands: Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.

(3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Ummal Quaiwain.

(4) Including Aden and various sultanates and emirates.

(5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamoto Gambier Group and the Marquesas Islands.

(6) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a2) Member or Association Countries of OPEC
Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE II

MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS FORMULATED BY O.E.C.F.

I. Advertising

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in atleast one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts

II-1. Bid Bonds or Guarantees

Bid Bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bids have been opened.

II. 2.—Conditions of Contract

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II. 3. Type and Size of Contract

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portions of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

(1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,

(2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries, and

(3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III. 1. Contract Price :

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses.—Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in

the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance.—The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract:

> "I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as————per cent (%) of the shares are held by nationals of—(eligible source country), and—————per cent ( ) of the directors are nationals————(eligible source country) and my (our) company has been registered in————(eligible source country)".

IV. 1. Standards

If nationals standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characterstics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its Life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or less of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening Evaluation and Award of Contract

IX. 1. Time Interval between Invitation and Submission of Bids

The time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX. 2. Bid Opening Procedures

The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX. 3. Clarifications or Alternation of Bids

No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder for a clarification of his bid but should not ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX. 4. Procedures to be confidential

Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX. 5. Examination of Bids

Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX. 6. Post-qualification of Bidders

In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources affectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX. 7. Evaluation and Comparison of Bids

Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX. 8. Rejection of Bids

Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modifications in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX. 9. Award of Contract

The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appro-

priate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. DATE

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001.

Subject :— Import of..................from under the Yen Credit OECF Loan Agreement No....:............

Sir,

In connection with the import of........... from..................under the above mentioned Yen Credit OECF Loan Agreement No.......... we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the........[name of the Bank which should be the same as given in (p) below] for opening a letter of credit in favour of the overseas suppliers concerned:—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date up-to which it is valid.

(c) Method of procurement—Whether it is based on direct purchase or Formal Open International Tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.

(g) Gross C&F value of contract (in Yen).

(h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(i) Net C&F value in Yen payable to Overseas Suppliers for which the Letter of Authority is required.

(j) Number and date of the contract.

(k) Name and Address of the Overseas Supplier.

(l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(m) Expected date of completion of deliveries.

(n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of Sets of each and their disposal).

(o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/part-shipment permitted or not permitted).

(p) Name and Address of the importer's bank in India.

(q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the Number, date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF.

(r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the Importer/Supplier.

ANNEXURE IV

(Letter Of Authority Form)

NO. F.
Goverment Of India
Ministry Of Finance
(Department Of Economic Affairs)

....

New Delni, the

To

The Bank Of India,
Tokyo Bronch,
Tokyo (Japan).

Subject : Import under Yen Credit (Project Aid)—Loan Agreement No. —issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 30-10-1976 entered into with your Bank, you are hereby authorized to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen..............favouring M/s.......... as per attached details.

A copy each of the Letter of Credit opened by your bank may be endorsed to the importer's bank; to the OECF, Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds.

After payment, you must claim immediately reimbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the date of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, you will be paid interest as per terms of the above agreement by the Importer's bank. The other banking charges included those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling/negotiating documents, if any and charges of overseas suppliers bankers, if any, will also be settled directly by the Importer's bank. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority, is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto....

Yours faithfully,.......

Accounts Officer........

Copy forwarded to:—

1. Importer..............with reference to their Letter No............dated.............

2. Importer's bankers.............. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo. Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest @9% per annum for the first thirty days and at the rate of 15% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is also required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notices No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the overseas supplier and also the date on which rupee deposits is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). *It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handled over to the importer for Customs Clearance.*

Instructions for depositing rupee dues from the importers as contained in RBI's circular No. 22 dated 18-6-1977 should always be kept in view.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hasari, Delhi or remitted by means of Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI *or* its subsidiaries or any one of the nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to SBI, Tis Hazari Delhi (drawee and payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Pufilic Notices No. 184-ITC (PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITCY (PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1776. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances—843-Civil Deposits—Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Credit/Loan Agreements—"Loans from the Government of Japan"—OECF Loan Agreement No. ID-P.........of Yen........Billion.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalent are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi

Accounts Officer,

ANNEXURE V

Form OECF-LC 1

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

Date:

To

..................This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No,.......... dated.... between (Borrowers) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

(Name and address of the Supplier).

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable Credit No.............in your favour for account of ....for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of γ..............(say Yen............) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents:—

Signed commercial invoice in..............

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight" and "Notify.................... .".

Other documents.

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to) Contract No.........(if any) from..................to.....................
Partial shipments are............permitted. Transshipment is.............permitted.

Bills of lading must be dated not later than...... Drafts must be presented for negotiation not later than...

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under............irrevocable Credit No............, dated..............and Import Reference No.(s).........(if any)".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Publication No. 290."

Special Instruction to the negotiating bank

1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC CO-OPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the Drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to.........

3. All banking charges under this Credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

....
(Commercial Bank)

By.......................
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No............

I. Initial Payment :

Amount : γ...............................
being.............. % of the total contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : γ............
being................ % of the total contract price.

Required documents:

Latest presentation date:

III. Payment against Shipping Documents :

Amount : γ................
being................ % of the total contract price.

Note: This attached sheet is not required in case of full payment against Shipping Documents.

ANNEXURE VI

Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

Date :

To :

..................This letter of credit has been issued pursuant to Loan Agreement No............dated.... between (Borrower) and THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND.

(Name and address of Supplier).

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No..........in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregat amount of γ ....(say Yen..........) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No...........) with regard to(..........Project). Drafts must be presented for negotiation not later than..............

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No............ dated.............."

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision), International Chamber of Commerce Publication No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipts thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,

....

(a Commercial Bank)

By:. ....

(Authorized Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No............

I. Initial Payment :

Amount : γ ....

being.... .... % of the total contract price

Required documents: beneficiary's Statement

Latest presentation date:

II. Progress Payment :

Aggregate amount : γ ....

being............% of the total contract price to be paid as follows:

Amount due Latest presentation date

1st instalment : γ............. ....

2nd instalment: γ............ ....

Required documents : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date:

To: Ref. No.

....

....

(Name and address of the Supplier).

Re: Letter of Credit No.........date ....
issued by...............................
for γ.......................in favour of
................concerning........Project.
under Loan Agreement No..............

I, the undersigned, representing (Borrower), hereby issue a Statement of Performance to entitle ...., to receive the sum of........... (Yen..............only) from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No................., dated ...., between.. ....and.........

....
(Borrower)

By:.................. .
(Authorised Signature)

Special Instructions

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.

ANNEXURE VII

Reimbursement Procedure

Procedure for disbursement of the proceeds of the Loan for the purchase of goods and services from Indian Suppliers shall be in accordance with RE-IMBURSMENT Procedure attached hereto, with the following supplemental stipulation:

The exchange rate of Indian Rupees per Japanese Yen shall be as ruling on the date of bid opening as specified in Section 4.07 of the Guidelines. Along with the Request for Reimbursement, the Borrower shall also furnish a certificate from a recognised bank certifying the Yen—Rupee exchange rate on the day of bid opening.

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

REIMBURSEMENT PROCEDURE

1. This procedure is to be followed in cases where expenditures, eligible for the Fund's financing have already been incurred. Such expenditures may represent

(i) payments to suppliers of specified goods; or

(ii) payments for services rendered by consultants or for services such as transportation, insurance, etc., or

(iii) payments under civil works (engineering, construction, and installation) contracts.

These payments may have been made under a letter of credit or otherwise. Also depending upon the terms of relevant contracts, such payments may represent the final settlement payments, or down payments or part (progress) payments against manufacture of goods, periodical or partial rendering of services or periodical progress of work under civil works contracts.

2. (1) Reimbursements for expenditures described above may be claimed by sending the Request for Reimbursement in the Form OECF-RMP attached hereto.

In cases where the Fund has agreed to provide, out of the Loan, foreign exchange against expenditure in local currency (i.e. currency of the country of the Borrower), the Request shall be made in terms of Japanese Yen and the amount claimed shall be the agreed portion of local currency expenditures actually incurred. The exchange rate of such local currency per Japanese Yen shall be agreed upon separately between the Fund and the Borrower.

Care should be taken to ensure that the Request reaches the Fund at least ten (10) days before the date on which reimbursement is made.

(2) The Request for Reimbursement under this Procedure including the Summary Sheet(s) attached thereto shall be presented in two copies to the Fund and both copies shall be signed by the Borrower or its designated authority. The following documents shall be furnished (in one copy only) in support of the Request. It is not necessary to furnish original documents; a photostat copy will suffice.

(a) For payments to suppliers against delivery/shipment of goods—

(i) supplier's invoice specifying the goods, with their quantities and prices, which have been or are being supplied/shipped;

(ii) bill of lading or similar document evidencing shipment/delivery of the goods listed on the invoice;

(iii) bill of exchange or similar document evidencing the date and amount of payment made to the supplier; a simple receipt from the supplier showing the date and the amount of payment would also suffice.

(b) For payments to suppliers made prior to delivery/shipment of goods—

(i) the contract or purchase order under which payment has been made;

(ii) bill of exchange or similar document evidencing the date and amount of payment made to the supplier; a simple receipt from the supplier showing the date and amount of payment would also suffice.

(c) For payments for consultants' services—

(i) the contract with consultants detailing the nature and duration of services, to be rendered and terms of payment;

(ii) the claim put in by the consultants indicating, in sufficient details, the services rendered, period covered, and amount payable to them;

(iii) cancelled bank cheque demand draft or similar document evidencing the date and amount of payment made to the consultants; a simple receipt from the consultants showing the date and amount of payment would also suffice.

(d) For payments for other services rendered—

(i) the bill, claim or invoice specifying the nature of services rendered and amounts charged therefor.

(ii) cancelled bank cheque demand draft or similar document evidencing the date and amount of payment made; a simple receipt showing the date and amount of payment would also suffice.

If such services relate to importation of goods (e.g. freight, insurance payments) adequate references shall be given to enable the Fund to relate each of these items to the specific goods the cost of which has been or is to be financed by the Fund.

(e) For payments under civil works contracts :—

(i) the contract detailing the construction/engineering work to be performed and terms of payment therefor;

(ii) the claim, bill or invoice of the contractor showing, in sufficient detail, the work performed by the contractor and amount claimed therefor;

(iii) a certificate to the effect that the work performed by the contractor is satisfactory and in accordance with the terms of the relevant contract, such certificate shall be signed by the chief engineering officer of the Borrower assigned to the Project.

(iv) cancelled bank cheque for similar document evidencing the date and amount of payment made to the contractor ; a simple receipt from the contractor showing the date and amount of payment would also suffice.

(3) In all the above cases, if payment has been made through a commercial bank under a letter of credit, a report from such bank in the Form OECF-RMP-1 attached hereto , can be furnished in lieu of bill of exchange, crossed cheque etc.

3. When the Fund, after examination, find the Request for Reimbursement in order and in conformity with the provisions of the Loan Agreement and the terms of the contract concerned, the Fund shall reimburse the requested amount in Japanese Yen by paying it into a non-resident free yen account to be opened by the Borrower with an authorised foreign exhcange bank in Tokyo ,in accordance with the relevant laws and regulations in Japan, on the date as specified in the Request. Such reimbursement shall constitute a disburement of the Loan.

4. It may be noted that in all the cases described in paragraphs 2(2) above, the Fund disbursements are to be made aganist evidence of specific expenditures incurred It is, however, possible that the Fund may have agreed to disburse a specified portion of the loan amount on the basis of physical progress of work. Evidence of actual expenditures in specific currencies being not available, in such cases, the Fund will accept the request for Reimbursement expressed in Japanese Yen. Each Request, unless otherwise required or agreed by the Fund , shall be supported by certificate on the lines indicated below. Part I of the certificate shall be singed by the chief engineering officer of the Borrower assigned to the Project ; Part II of the certificate shall be signed by the person (s) authorised to sign the Request on behalf of the Borrower.

CERTIFICATE (PART I)

Date :

It is certified that as of (date) the progress of the work relating to.............................. was.................percent.

Signature :...............

Name : ....

Title or designation : ....

CERTIFICATE (PART II)

Date :

The amount of the Fund's loan on the basis of progress of work is Yen............(Say Yen........ ....) ; on the basis of percentage certified in Part I above , the amount due for disbursement of the loan comes to Yen..........(Say Yen........) An amount of Yen............(Say Yen........ ....) has already been disbursed under the Requests for Reimbursement up to and including the Request No...............and the balance of Yen................(say Yen.................) is now requested to be disbursed.

....

(name of Borrower)

By : ....

(Authorised Signature)

Form : OECF-RMP

Request for Reimbursement

Date :

Loan No :

App. Serial No.

To : THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND

Tokyo, Japan.

Attn : Manager, Loan Department.

Gentlemen :

1. Pursuant to the Loan Agreement No.....dated ....between THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND (herinafter referred to as the Fund) and (Borrower), the undersigned hereby requests for reimbursement under said Loan Agreement, of the sum of y....... ......(say Yen............) in reimbursment of expenditures as described in the attached Summary Sheet(s).

2. The undersigned has not previously requested for reimburement of any amounts from the Loan for the purpose of reimbursing or of meeting the expenditures described in the attached Summary Sheet (s). The undersigned has not obtained nor will obtain funds for such purpose out the proceeds of any other loan, credit or grant available to the undersigned except short-term loans or credits, if any, established in anticipation of the reimbursement requested for herein and to be repaid pro-tanto with the funds reimbursed hereunder and any charges, commission or interest paid or payable under such anticipatory short-term credits are not included in the amount herein requested to be reimbursed.

3. The undersigned certifies that—

(a) the expenditures, hereby sought to be reimbursed, were made for the purposes specified in the Loan Agreement ;

(b) the goods and services purchased with these expenditures have been procured in accordance with the applicable procurement procedures agreed with the fund pursuant to the said Loan Agreement and the cost and terms of purchase thereof are reasonable ;

(c) the said goods and services were or will be supplied by the supplier (s) specified in the attached Summary Sheet (s) and were or will be produced in (or, in the case of services, supplied from) the eligible source country (countries) for the Fund's loan.

(d) as of the date of this request there is no existing default under the Loan Agreement, nor, to the best of the undersigned's knowledge and belief, under the Guarantee, if any.

4. Please reimburse the amount requested for herein by paying into the non-resident free Yen account of........with..........................
(payee) (name and address of an
....on
authorised foreign exchange bank in Tokyo)
....
(date of reimbursement).

5. This request consists of..........page (s) and
(number)
........signed and numbered summary sheet (s).
(number)

....
(Name of Borrower)

By : ....
(Authorised Signature)

Form : OECF—RMP—SS

Date:

Loan No. :

App. Serial No. :

Summary Sheet No......................

No. and Title of Category/Sub-category........................

(For more than ten items use additional sheet(s) with same number).

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Item No.	Delivery date	Country of origin	Description of goods and services	No. and date of supply contract or purchase order	Name and address of supplier	Date of payment	Amount paid		Amount claimed	Nature of payment made	Remarks
							In local currency	Exchange rate (per Yen)	Agreed portion (9/8 %)		
1.											
2.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
Total										

Note : Column 9 is to indicate, against each item, whether the payment is a down-payment, or an instalment payment (if so, the number of instalment) or the final payment in full settlement.

———————————
(Name of Borrower)

By: ———————
(Authorised signature)

OECF-RMP-I

Commercial Bank's Report of Payment

Date :

To :

....
(Name and address of Borrower or Borrower's Representative)

Gentlemen :

We report having paid the sum of .... (Currency and ....on .... to.................. amount) (date of payment)

....
(name of supplier with address)
under L/C No......................established by

....
(name and address of correspondent bank)
for account.....................................

....
(name and address of buyer)

Our payment commission amounts ....
....
(currency and amount)

Payment was effected against delivery of the documents as specified in and in accordance with the terms and conditions of the Letter of Credit mentioned above evidencing shipment of..................

....
(general description of the merchandise including ....from...........................
the quanity, etc.) (port of shipment)
to...
(destination).

Ocean documents have been forwarded to our above-mentioned correspondent bank. Copy of the suppliers invoice is attached.

Yours truly,

....
(a commercial bank)

By : ....
(Authorised signature)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983